कार्यालय जिलाधिकारी, जनपद-कौशाम्बी

(उ0प्र0 सोशल आडिट निदेशालय)

विज्ञप्ति

निदेशक सोशल आडिट उत्तर प्रदेश लखनऊ के पत्र संख्या 1012/स०आ०नि०-3/584/2024 दिनांक 18.11.2024 द्वारा सोशल आडिट के अर्न्तगत जनपद में जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर (DSAC) के रिका पद को एक वर्ष की संविदा के आधार पर नियत मानदेय पर भरे जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं, जिसके क्रम में जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर जनपद कौशाम्बी के पद पर संविदा के आधार पर चयन हेतु इच्छुक अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। अभ्यर्थियों के शैक्षिक अर्हता/अनुभव निम्नवत है :-

1- शैक्षिक अर्हता/अनुभव -

(क) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की उपाधि।

(ख) जन समस्याओं से सम्बन्धित मामलों में सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में जमीनी स्तर पर कम से कम 05 वर्ष का अनुभव एवं ग्राम्य विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी रखता हो।

(ग) ग्राम पंचायत सोशल आडिट टीम के ऐसे सदस्य जिनके द्वारा कम से कम तीन सोशल आडिट सम्पादित की गयी हो, को भी जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर चयनित किया जा सकता है।

(घ) प्रभारी जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर/ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थी को निम्न प्रकार से वरीयता दी जायेगी।

1- जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के लिए साक्षात्कार हेतु पूर्णांक - 25

2- ब्लाक सोशल ऑडिट कोआर्डिनेटर के रूप में 03 वर्ष अथवा उससे अधिक समय तक कार्य करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता हेतु निर्धारित अंक- 03

3- ब्लाक सोशल आडिट कोआर्डिनेटर द्वारा प्रभारी जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के रूप में कार्य करने वाले अभ्यर्थी को वरीयता हेतु निर्धारित अतिरिक्त अंक - प्रतिवर्ष 01 (अधिकतम 02 अंक)

(ड.) नियुक्ति हेतु सम्बन्धित जनपद कौशाम्बी का मूल निवासी होना अनिवार्य है।

2- आयु सीमा - कैलेण्डर वर्ष की 01 जनवरी को न्यूनतम 25 वर्ष तथा अधिकतम 55 वर्ष।

3- आरक्षण - पिछड़ा वर्ग

4- कर्तव्य एवं दायित्व - जिला सोशल आडिट कोआर्डिनेटर के कर्तव्य एवं दायित्व शासनादेश संख्या-2245/अड़तीस-7-2012-200नरेगा /2009 दिनांक 04.10.2012 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार होंगे।

5- मानदेय एवं यात्रा भत्ता - जिला सोशल आडिट कोआर्डिनटरों को सोशल आडिट निदेशालय, उ०प्र० द्वारा समय-समय पर निर्धारित मानदेय एवं नियत यात्रा भत्ता अनुमन्य होगा।

आवेदन पत्र का प्रारूप निम्नवत् है :-